पत्रांक :18/2017/76/93-17-14(NRI)2016

प्रेषक ,

आलोक सिन्हा
प्रमुख सचिव,
एन०आर०आई० विभाग,
उ०प्र०शासन |

सेवा में,

1. **प्रबंध निदेशक /मुख्य प्रबंधक,**
   एन०आर०आई०सेल, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,कानपुर |
2. **संयुक्त अधिशाषी निदेशक,**
   उद्योग बन्धु ,लखनऊ |
3. **प्रभारी एन०आर०आई०सेल,**
   उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,क्षेत्रीय कार्यालय,
   18-मदन मोहन मालवीय मार्ग,लखनऊ |

एन०आर०आई०अनुभाग **लखनऊ :दिनांक : 22 मई,2017**

विषय:- लखनऊ में यू.पी.एन.आर.आई. शिकायत निवारण केंद्र (UP NRI GRIEVANCE REDRESSAL CENTER) की स्थापना/क्रियाशीलन (ACTIVATION) के सम्बन्ध में |

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप-संख्या 02/93-17-14(NRI)/2016,दिनांक:03.01.2017 सपठित कार्यालय-ज्ञाप संख्या:50/93-17-14(एन.आर.आई.)/2016,दिनांक:10.04.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उद्योग-बन्धु,लखनऊ में यू.पी.एन.आर.आई.शिकायत निवारण केंद्र(UP NRI GRIEVANCE REDRESSAL CENTER) की स्थापना/क्रियाशीलन(ACTIVATION) के सम्बन्ध में समस्त दिशा-निर्देश एवं इस हेतु गत वित्तीय वर्ष में ही आवश्यक बजट धनराशि का आवंटन/उपयोग पर सहमति प्रदान की जा चुकी है | इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही/प्रगति की अंतिम/अंतरिम सूचना अभी तक अप्राप्त है |

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विदेश मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली के पत्रांक:OI-18016/02/2017-OIA-II.D,दिनांक:12.04.2017 द्वारा यू.पी.एन.आर.आई.शिकायत निवारण केंद्र(UP NRI GRIEVANCE REDRESSAL CENTER) के क्षेत्राधिकार में एन.आर.आई.की समस्याओं से सम्बंधित कौन-कौन से मुद्दे (ISSUES) सम्मिलित किये गए हैं ,इस विषय पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के साथ भारत सरकार से यू.पी.एन.आर.आई.शिकायत निवारण केंद्र(UP NRI GRIEVANCE REDRESSAL

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

CENTER) द्वारा समन्वय (COORDINATION)स्थापित किये जाने की अपेक्षा भी की गयी है ।

3. अतः,इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यू.पी.एन.आर.आई.शिकायत निवारण केंद्र (UP NRI GRIEVANCE REDRESSAL CENTER) की स्थापना/क्रियाशीलन(ACTIVATION) की दिशा में समस्त अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुए इसे विलम्बतम 15 दिन के अन्दर अवश्यमेव क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें ।

साथ ही, भारत सरकार की अपेक्षानुसार एन.आर.आई.की विभिन्न समस्याओं (यथा-भूमि विवाद, परिजनों का उत्पीडन, संकट काल में फंसे अप्रवासी भारतीय समूहों की सुरक्षित स्वदेश वापसी, विदेश में रोज़गार, भर्ती एवं पारगमन से सम्बंधित शिकायतें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विदेश में अप्रवासी भारतीयों के मुक़दमों की सुनवाई, मृत/खोये हुए अप्रवासियों के परिजनों को सहायता आदि) का वर्गीकरण/चिह्नांकन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र०सं	वर्गीकरण	आच्छादित प्रकरण
1.	विदेश में रोजगार	1-नियोक्ता द्वारा शारीरिक/मानसिक उत्पीडन । 2-वर्क परमिट की अवधि समाप्त होना । 3-नियोक्ता द्वारा वीजा/पासपोर्ट जब्त कर लेना । 4-विकलांगता/मृतु की दशा में क्षतिपूर्ति न देना । 5-अवकाश एवं वापसी की अनुमति न देना। 6-विदेश जाने से पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण । 7-अन्य सम्बंधित मामले ।
2.	पैतृक निवास स्थान पर परिजनों का उत्पीड़न	1-सगे-सम्बन्धियों द्वारा पैतृक परिसम्पत्ति हड़पने /कब्जा किया जाना । 2-माता-पिता का सगे सम्बन्धियों अथवा पड़ोसियों द्वारा शारीरिक/मानसिक उत्पीडन। 3-सम्बंधित थाने /जनपदीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सुनवाई न

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		किया जाना । 4-फर्जी मुकदमों में फंसाना । 5-भू अभिलेखों में हेरा-फेरी कर नामांतरण करा लेना । 6- वैवाहिक विवाद से सम्बंधित मामले । 7-अन्य सम्बंधित मामले ।
3.	विदेश में बसे अप्रवासी भारतीयों के मुक़दमों की सुनवाई	1-क्षतिपूर्ति के मामलों की सुनवाई । 2-वर्क-परमिट/वीजा/पासपोर्ट के खोने पर मुक़दमे की सुनवाई । 3-मुक़दमों में आर्थिक/विधिक सहायता 4- मुक़दमें से सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन। 5- अन्य सम्बंधित मामले ।
4.	भर्ती एवं पारगमन से सम्बंधित	1-अनधिकृत भर्ती एजेंटों द्वारा रोज़गार के नाम पर विदेश भेजा जाना । 2- रोज़गार हेतु वर्क वीज़ा के स्थान पर टूरिस्ट वीज़ा पर भेजा जाना । 3- मानव तस्करी। 4- संकट काल में फंसे/अपरिहार्य परिस्थितियों में उत्प्रवासन/स्वदेश वापसी की व्यवस्था करना । 5- अन्य सम्बंधित मामले ।
5.	अभिलेखों का सत्यापन	1- अभिलेखों के सत्यापन का सरलीकरण। 2- अन्य सम्बंधित मामले
6.	मृत/खोये हुए अप्रवासियों के परिजनों को सहायता	1- मृत शरीर के पारगमन की व्यवस्था । 2- मृतक के अभिलेखों(white passport) की व्यवस्था । 3- भारत आगमन के पश्चात उसके पैतृक स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था । 4- खोये हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में एम्बेसी की सहायता । 5- अन्य सम्बंधित मामले ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त अपेक्षित कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार के सम्बंधित मंत्रालय को अवगत कराते हुए, समन्वय की दिशा में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या:18/2017-76(1)/93-17-14(NRI)2016 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) Shri Dyaneshwar M.Mulay,Secratary (CPV&OIA), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-110021 ।

(2) संयुक्त सचिव(OIA-II) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नयी दिल्ली ।

(3) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन,आर,आई विभाग उ०प्र० शासन ।

(4) निजी सचिव,प्रमुख सचिव /विशेष सचिव एन०आर०आई० विभाग ।

(5) ए.एन.पाण्डेय, निदेशक डाटा प्लानिंग, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ, 226001 ।

आज्ञा से,

(डॉ.अनिल कुमार)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।